HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 555/2018
URN: CRLMP / 900U / 2018

Dinesh Saini S/o Badrinarayan Saini, R/o Plot No. 80, Arya Nagar, Murli Nagar, Jaipur.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan Through P.P.
2. Sundaram S/o Late Shri Dularam, R/o Jaisinghpura Khor, Jaipur.
3. Chhoturam S/o Late Shri Bansi, R/o Village Kilangarh, Jaisinghpura Khor, Police Station Brahmpuri, Distt. Jaipur, Raj.
4. Tulsiram S/o Bansi, R/o Jaisinghpura Khor, Tehsil And Distt. Jaipur, Raj.
5. Roodmal S/o Bansi, R/o Jaisinghpura Khor, Tehsil And Distt. Jaipur, Raj.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajay Sharma for Mr. Sunil Kumar Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. Mr. Sanjay Mehla with Ms. Sunita Mehla

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/06/2026

याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत विचारण न्यायालय, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर द्वारा दिनांक ''25.04.2017'' को पारित आदेश तथा निगरानी न्यायालय, विशेष न्यायालय (जाली नोट प्रकरण) एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2017 एवं दिनांक 06.11.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, परिवादी द्वारा पुलिस थाना जेडीए, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ''638/2011'' दर्ज कराई गई। अनुसंधान उपरांत पुलिस ने विवाद को सिविल प्रकृति का मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत की गई, जिसके समर्थन में परिवादी ने स्वयं तथा गवाहान दिनेश सैनी एवं रामअवतार के कथन लेखबद्ध कराए।

विचारण न्यायालय ने उपलब्ध समस्त सामग्री एवं कथनों पर विचार करते हुए दिनांक 25.04.2017 के आदेश द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन को अस्वीकार करते हुए अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर परिवादी ने निगरानी याचिका संख्या ''191/2017'' प्रस्तुत की, जिसे निगरानी न्यायालय ने दिनांक 05.08.2017 को परिवादी द्वारा मुलजिमान को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी। जिस पर याची द्वारा पुनः निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे निगरानी न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2017 को दुबारा सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने का कारण अंकित करते हुए निगरानी खारिज की गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि निगरानी न्यायालय ने निगरानी याचिका केवल इस तकनीकी आधार पर निरस्त की कि उसमें अभियुक्तगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था। उनका निवेदन है कि विचारण न्यायालय एवं निगरानी न्यायालय के आदेशों को अपास्त करते हुए याची को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वह अभियुक्तगण को आवश्यक पक्षकार बनाकर विधि के अनुसार पुनः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर सके।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त प्रार्थना का विरोध किया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, अंतिम प्रतिवेदन एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि याची द्वारा वर्तमान याचिका में विवाद के गुण–दोष पर कोई आग्रह नहीं किया गया है। उसका सीमित निवेदन मात्र इतना है कि अभियुक्तगण को पक्षकार न

बनाए जाने के कारण उत्पन्न तकनीकी त्रुटि का निराकरण करने हेतु उसे पुनः विधि के अनुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।

न्यायहित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि याची को उक्त अवसर प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायोचित होगा।

''परिणामस्वरूप'', वर्तमान याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 एवं 06.11.2017 अपास्त किया जाता है तथा याची को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2017 के विरुद्ध, समस्त आवश्यक पक्षकारों, विशेषतः अभियुक्तगण को पक्षकार बनाते हुए, ''एक माह'' की अवधि के भीतर नवीन निगरानी याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

यदि उक्त अवधि के भीतर निगरानी याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो निगरानी न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विधि के अनुसार प्रकरण का पुनः विचार करते हुए स्वतंत्र एवं कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए।

उक्त स्वतंत्रता एवं निर्देशों के साथ वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

इस याचिका के साथ लंबित अन्य सभी प्रार्थना–पत्र, यदि कोई हों, तो वे भी इसी के अनुरूप निस्तारित माने जाएँ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/34